सत्यमेव जयते

राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग
National Commission for Scheduled Tribes

(भारत के संविधान के अनुच्छेद 338क के अंतर्गत एक संवैधानिक निकाय)
(A constitutional body under Article 338A of the Constitution of India)

फा .सं :. NCST/SER-2317/JH/99/2025-RU-IV

दिनांक: 22.12.2025

सेवा मे,

1 **सचिव,**
झारखण्ड़ कर्मचारी चयन आयोग,
कालीनगर, चाय बागान,
नामकुम, रांची
झारखंड 834010

2 **पुलिस महानिदेशक**,
झारखंड सरकार,
झारखंड पुलिस मुख्यालय,
रांची, झारखंड 834001
Email Id: dgp@jhpolice.gov.in

विषय: झारखण्ड़ कर्मचारी चयन आयोग, रांची द्वारा आरक्षी (जिला बल एंव झारखण्ड सशस्त्र पुलिस की वाहिनी संख्या 02 से 10) पदों के लिए आयोजित चयन प्रतियोगिता में पुलिस में नौकरी के बाद दोबारा गलत मेडिकल रिजल्ट के चलते आदिवासी अभ्यर्थियों को नौकरी से हटाए जाने के संबंध में - श्री जय सिंह पुर्ती तथा 05 अन्य, ग्राम- गजगोन, पोस्ट-मुहु, जिला-पश्चिम सिंहभूम (झारखंड) का दिनांक 21.05.2025 का अभ्यावेदन/पत्र।

महोदय,

उपरोक्त विषय पर राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग की माननीया सदस्य डॉ आशा लकड़ा की अध्यक्षता में दिनांक 02.12.2025 को आयोग मे हुई सिटिंग के कार्यवृत्त की प्रति आपको सूचनार्थ प्रेषित है

भवदीय

(प्रवीण कुमार सिंह)
अवर सचिव
E.mail ID: rahul.1424@ncst.nic.in

प्रति सूचनार्थ:

श्री जय सिंह पुर्ती तथा 05 अन्य,
ग्रामगजगोन -, पोस्टमुहु-,
जिला(झारखंड) पश्चिम सिंहभूम- - 835216,
Mobile No:9632987485
(A copy of reply dated 01.12.2025 received from Jharkhand Staff Selection Commission, Govt. of Jharkhand is enclosed for your information)

(ii) PS to Hon'ble Member (Dr. Asha Lakra)
(iii) NIC for uploading

सत्यमेव जयते

राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग
National Commission for Scheduled Tribes

(भारत के संविधान के अनुच्छेद 338क के अंतर्गत एक संवैधानिक निकाय)
(A constitutional body under Article 338A of the Constitution of India)

फाइल सं NCST/SER-2317/JH/99/2025-RU-IV

झारखंड कर्मचारी चयन आयोग, रांची द्वारा आरक्षी (जिला बल एवं झारखंड सशस्त्र पुलिस की वाहिनी संख्या 02–10) पद हेतु आयोजित चयन प्रक्रिया में नियुक्ति उपरांत पुनः आयोजित चिकित्सीय परीक्षण में कथित अनियमितताओं के आधार पर 06 आदिवासी अभ्यर्थियों की सेवा समाप्ति के संबंध में श्री जय सिंह पुर्ती एवं 05 अन्य, ग्राम–गजगोन, पोस्ट–मुहु, जिला–पश्चिम सिंहभूम (झारखंड) के अभ्यावेदन दिनांक 21.05.2025 के संदर्भ में आयोग की माननीय सदस्य डॉ आशा लकड़ा की अध्यक्षता में दिनांक 02.12.2025 को आयोग मुख्यालय , नई दिल्ली में आयोजित सिटिंग का कार्यवृत।

सुनवाई की तिथि एवं समय : 02.12.2025 को अपराह्न 03:50 बजे
सुनवाई में उपस्थित प्रतिभागी : अनुलग्नक-I के अनुसार

श्री जय सिंह पुर्ती तथा 05 अन्य, ग्राम- गजगोन, पोस्ट-मुहु, जिला-पश्चिम सिंहभूम (झारखंड) का अभ्यावेदन दिनांक 21.05.2025 आयोग में प्राप्त हुआ है। इसमें बताया गया है कि श्री जय सिंह पुर्ती तथा 05 अन्य ने झारखण्ड कर्मचारी चयन आयोग, रांची द्वारा आरक्षी (जिला बल एंव झारखण्ड सशस्त्र पुलिस की वाहिनी संख्या 02 से 10) पदों के लिए आयोजित चयन प्रतियोगिता में पुलिस में नौकरी के बाद दोबारा गलत मेडिकल रिजल्ट के चलते नौकरी से हटा दिया गया है । श्री जय सिंह पुर्ती तथा 05 अन्यों ने आगे यह भी उल्लेख किया है कि उन्हें पहले चिकित्सीय जांच में पूरी तरह से योग्य पाया गया था तथा उन्होंने सभी प्रकार का 12 माह का प्रशिक्षण भी पूरा कर लिया था। प्रशिक्षण के दौरान बीच में दुबारा बिना सूचना/कारण चिकित्सीय जांच हेतु रिम्स, रांची लाया गया, इस दुबारा चिकित्सीय जांच में 06 आदिवासियों की त्रुटि निकालकर अयोग्य घोषित कर दिया गया। इस पर श्री जय सिंह पुर्ती ने आयोग से इस मामले को संज्ञान में लेने तथा उन्हें न्याय दिलाने का अनुरोध किया है।

2. मामले में आयोग द्वारा पूर्व में, दिनांक 16.06.2025 को सचिव, झारखंड कर्मचारी चयन आयोग, रांची तथा पुलिस महानिदेशक, झारखंड को विषय से संबंधित तथ्यात्मक प्रतिवेदन प्रस्तुत करने हेतु नोटिस प्रेषित किया गया था। तथापि, संबंधित कार्यालयों से वांछित सूचना प्राप्त न होने पर, आयोग द्वारा दिनांक 09.10.2025 को अनुस्मारक प्रेषित किया गया।

मामले में जब किसी कार्यालय द्वारा आवश्यक सूचना उपलब्ध नहीं कराई गई, तब आयोग ने मामले पर दिनांक 02.12.2025 को सुनवाई निर्धारित की गई । तदनुसार, संबंधित अधिकारियों को सिटिंग नोटिस दिनांक 20.11.2025 को प्रेषित किए गए।

3. सुनवाई के दौरान पुलिस महानिदेशक, झारखंड की ओर से DIG (Personnel), रांची, झारखंड उपस्थित हुए। अभ्यावेदक पक्ष सुनवाई में अनुपस्थित रहा।

4. दिनांक 02.12.2025 को झारखंड कर्मचारी चयन आयोग, रांची द्वारा ईमेल के माध्यम से प्रेषित पत्रांक–02/परीक्षा–12-04/2014 आ. 6342 के अनुसार, यह पाया गया कि प्रकरण झारखंड कॉन्स्टेबल प्रतियोगी परीक्षा–2015 (JCCE–2015) के चिकित्सीय परीक्षण प्रक्रिया में हुई अनियमितताओं से संबंधित है।प्रारंभिक, मुख्य और शारीरिक परीक्षाएँ उत्तीर्ण करने वाले अनेक अभ्यर्थियों को प्रारंभिक मेडिकल बोर्ड ने *knock-knee, flat-foot, colour blindness* जैसे कारणों के आधार पर अनफिट घोषित कर दिया था। इसके विरोध में **36 अभ्यर्थियों** ने

आशा लकड़ा

झारखंड हाई कोर्ट में W.P.(S) No. 3239/2017 दायर की, जिसमें उन्होंने खाली कागज़ों पर जबरन हस्ताक्षर करवाने तथा सदर अस्पताल, रांची के सिविल सर्जन द्वारा दी गई फिटनेस रिपोर्ट को अस्वीकार करने जैसे आरोप लगाए। याचिकाकर्ताओं ने सिविल सर्जन, सदर अस्पताल, रांची से स्वतंत्र चिकित्सा परीक्षण कराया, जिसमें वे फिट पाए गए।

माननीय न्यायालय ने दो परस्पर विरोधी मतों (मूल मेडिकल बोर्ड बनाम सिविल सर्जन) को नोट करते हुए, 7 जुलाई 2017 के आदेश से ASG (भारत) की सहायता से एक न्यूट्रल CRPF मेडिकल बोर्ड से 36 याचिकाकर्ताओं का निष्पक्ष परीक्षण कराया।CRPF मेडिकल बोर्ड ने 35 में से 30 याचिकाकर्ताओं को फिट पाया, जिससे प्रारंभिक मेडिकल बोर्ड की रिपोर्टों में हुई व्यापक त्रुटियाँ और गड़बड़ियाँ उजागर हुईं। इसके बाद राज्य सरकार ने गृह विभाग के अवर सचिव द्वारा दाखिल **काउंटर एफिडेविट (पैरा 14)** में सुधारात्मक कदमों की विस्तृत योजना प्रस्तुत की — जिसमें शामिल थे:

- RIMS, रांची में वरिष्ठ विशेषज्ञों से युक्त **एपेक्स मेडिकल बोर्ड** का गठन;
- प्रत्येक श्रेणी के अंतिम चयनित अभ्यर्थी से *अधिक अंक* वाले सभी उम्मीदवारों का पुनः मेडिकल;
- पुराने मेडिकल बोर्ड की गलत प्रमाणित रिपोर्टों की जाँच कर दोषी अधिकारियों पर अनुशासनात्मक/कानूनी कार्रवाई;
- मेडिकल प्रक्रिया में **CCTV, बायोमेट्रिक एवं उच्चस्तरीय पर्यवेक्षण समिति** से पारदर्शिता सुनिश्चित करना;
- तथा पुनः मेडिकल के आधार पर **नई श्रेणीवार मेरिट सूची** तैयार कर नए नियुक्ति पत्र जारी करना; साथ ही पुनः परीक्षण में अनफिट पाए जाने या संशोधित मेरिट सूची से बाहर होने की स्थिति में अभ्यर्थियों की पूर्व नियुक्ति (यदि कोई हो) को अवैध मानकर समाप्त करना।

माननीय न्यायालय के 11.08.2017 के आदेश ने राज्य सरकार की इस पूरी सुधारात्मक योजना को मंजूरी दी तथा इसे तीन माह में पूर्ण करने का निर्देश दिया। कोर्ट ने 30 फिट याचिकाकर्ताओं (क्रमांक 11, 18, 19, 22, 24 और 36 को छोड़कर) को बिना पुनः जाँच के फिट मानने और अंतिम चयन सीमा पर स्थित अभ्यर्थियों को नोटिस देकर पुनः मेडिकल किए जाने का निर्देश दिया। साथ ही विभागीय सचिव को दोषी मेडिकल बोर्ड सदस्यों के विरुद्ध की गई कार्रवाई का शपथपत्र प्रस्तुत करने को कहा गया।

इस प्रक्रिया में **6 अनुसूचित जनजाति (ST) अभ्यर्थी** —

1. जयसिंह पुरटी (FIT despite knock knee)
2. विक्रम मुंडा (FIT despite knock knee)
3. एलेक्सियस ऐंड (NOT FIT – genu valgus/knock knee)
4. लालू ओरॉन (NOT FIT – epigastric व inguinal hernia)
5. पन्नालाल ओरॉन (NOT FIT)
6. मिस्ली किश्कू (NOT FIT — "Not-Fit Working Candidate" पत्रांक 1354/2018-2001 दिनांक 24.07.2018)

एपेक्स मेडिकल बोर्ड, RIMS के पुनः परीक्षण में **अनफिट पाए गए** और इन्हें **संशोधित मेरिट सूची से बाहर कर सेवा से हटा दिया गया**। इनके अनफिट प्रमाणपत्र दिसंबर 2017 के Apex Board Certificates तथा "Not-Fit Working Candidates" रिपोर्ट (पत्रांक 498 दिनांक 23.07.2018) में विस्तृत रूप से दर्ज हैं।

5. मामले को सुनने के पश्चात आयोग द्वारा निम्नलिखित अनुसंशाएं की जाती हैं :

(i)चूँकि प्रकरण में समस्त कार्रवाई माननीय न्यायालय के निर्देशानुसार संपादित की जा चुकी है, अतः इस संबंध में आयोग द्वारा किसी प्रकार की अग्रिम कार्रवाई अपेक्षित नहीं है। इसलिए **यह मामला आयोग में बंद किया जाता है।**

आशा लकड़ा
10/12/2025

(डॉ आशा लकड़ा)

सदस्य

राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग

डॉ. आशा लकड़ा/Dr. Asha Lakra
सदस्य/Member
भारत सरकार/Government of India
राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग
National Commission for Scheduled Tribes
नई दिल्ली/New Delhi

Attendance Sheet
National Commission for Scheduled Tribes

NCST/SER-2317/JH/99/2025-RU-IV

Sitting to be held on **02.12.2025 at 03.50 P.M-** झारखण्ड़ कर्मचारी चयन आयोग, रांची द्वारा आरक्षी (जिला बल एंव झारखण्ड सशस्त्र पुलिस की वाहिनी संख्या 02 से 10) पदों के लिए आयोजित चयन प्रतियोगिता में पुलिस में नौकरी के बाद दोबारा गलत मेडिकल रिजल्ट के चलते आदिवासी अभ्यर्थियों को नौकरी से हटाए जाने के संबंध में - **श्री जय सिंह पुर्ती** तथा 05 अन्य, ग्राम- गजगोन, पोस्ट-मुड़ु, जिला-खूंटी (झारखंड) का दिनांक 05.05.2025 का अभ्यावेदन/पत्र।

Sl. No.	Name and Designation	Address & Phone No.	Signature
I	**National Commission for Scheduled Tribes**		
1.	Dr. Asha Lakra Hon'ble Member	In Chair	
2.	Shri Yogendra Prasad Yadav Deputy Secretary		
3.	Shri H.R. Meena Consultant		
4	Shri Rahul Investigator		
5.	Ms. Riya Investigator		
6.	Shri Rahul Yadav Legal Consultant		
7.			
II	**Officers from O/o Secretary, Jharkhand Staff Selection Commission, Jharkhand**		
1.			
2.			
3.			
III	**Officers from O/o Director General of Police, Jharkhand**		
1.	Surendra Kumar Jha	DIG personnel, Ranchi (PHQ) Jharkhand.	
2.			
3			
IV	**Petitioners**		